म.प्र. जन अभियान परिषद्

(योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन)
राजीव गांधी भवन खण्ड 2, 35 श्यामला हिल्स, भोपाल, 0755-2660203

क्रं...1568/ज.अ.प./टी.एम./सी.एम.सी.एल.डी.पी./24 भोपाल, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

संभाग समन्वयक (समस्त)
जिला समन्वयक (समस्त)
विकासखण्ड समन्वयक (समस्त)
म.प्र. जन अभियान परिषद्

विषय- शैक्षणिक सत्र 2024-25 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम अंतर्गत कक्षाओं के संचालन हेतु बजट शीर्ष एवं दायित्व/व्यवस्थाओं के संबंध में।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैचलर इन सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) तथा मास्टर आफ सोशल वर्क (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत् विकास) पाठ्यक्रम का संचालन प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में किया जाना है। इस हेतु विभिन्न मदों यथा मेंटर्स हेतु मानदेय, प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के केन्द्र सहायक, भृत्य तथा सफाई कर्मी हेतु मानदेय एवं अन्य आकस्मिक व्यय अंतर्गत राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त मदों हेतु निर्धारित राशि, दायित्व/व्यवस्था, राशि आवंटन तथा देयक संधाराण/प्रस्तुतिकरण हेतु मार्गदर्शी बिन्दु परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रेषित है।

तदानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न- मार्गदर्शी बिन्दु।

(कार्यपालक निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित)

23.8.24
निदेशक (सेल)
म.प्र. जन अभियान परिषद्

पृ.क्रं..1569/ज.अ.प./ सी.एम.सी.एल.डी.पी./24 भोपाल, दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, कार्यपालक निदेशक, म.प्र. जन अभियान परिषद की ओर सूचनार्थ।
2. गार्ड नस्ती

23.8.24
निदेशक (सेल)
म.प्र. जन अभियान परिषद्

CMCLDP संडे कक्षा व्यवस्था हेतु मार्गदर्शी बिन्दु

क्र.	मद	मानदेय प्रति रविवार (राशि रु. में)	दायित्व/व्यवस्था	राशि आवंटन	देयक संधारण/प्रस्तुतिकरण
1	मेंटर्स हेतु मानदेय	2000/- प्रति मेंटर	पाठ्यक्रम के उद्देश्य और अपेक्षाओं के अनुरूप कक्षा में छात्रों का मार्गदर्शन। सामाजिक प्रयोगशाला के रूप में चुने गये ग्राम में किसी सतत् विकास लक्ष्य पर विद्यार्थी द्वारा किये जाने वाले कार्य का अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन। वर्षपर्यंत चलने वाली विकासात्मक गतिविधियों पर परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में सहयोग। प्रदत्त एवं क्षेत्रीय कार्यों में गुणवत्ता संवर्धन हेतु सुझाव। पाठ्यक्रम से जुडी हुई अन्य गतिविधियों में सहयोग।	मेंटर्स की उपस्थिति के आधार पर जिला समन्वयक द्वारा नवांकुर संस्था के बैंक खाते में राशि का आवंटन किया जावेगा	प्रत्येक नवांकुर संस्था से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्यापन उपरांत जिला कार्यालय में संधारित किया जावेगा
2	केन्द्र सहायक हेतु मानदेय	300/- व्यक्ति	आवश्यक संख्या में कक्ष, पुस्तकालय, कंप्यूटर सेंटर समय पर खुलवाना, गाडी स्टेंड व्यवस्था, पानी, लाईट, कुर्सी, टेबल की व्यवस्था, महिला एवं पुरूष की शोचालय खुलवाना, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं का आयोजन करवाना आदि।	जिला समन्वयक द्वारा संबंधित महाविद्यालय/विद्यालय के बैंक खाते में उक्त राशि का आवंटन किया जावेगा।	प्रत्येक महाविद्यालय/विद्यालय से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सत्यापन उपरांत जिला कार्यालय में संधारित करना
3	भृत्य हेतु मानदेय	200/- प्रति व्यक्ति	कक्षों की साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था एवं अन्य सहयोग।		
4	सफाई कर्मी हेतु मानदेय	100/- प्रति व्यक्ति	कक्षा आरम्भ होने के पूर्व महिला एवं पुरूष की शोचालय की साफ-सफाई।		
5	अन्य आकस्मिक व्यय	500/- प्रति विकासखंड	विकासखण्ड समन्वयक द्वारा आवश्यकता होने पर ही दस्तावेजीकरण, मॉनिटरिंग आदि कार्य।	1. विकासखण्ड समन्वयक द्वारा इस संबंध में स्वयं के हस्ताक्षर युक्त वैध देयक (Valid bills) जिला समन्वयक को प्रस्तुत किया जावे। 2.जिला समन्वयक द्वारा दर्शित कार्य की आवश्यकता एवं प्रस्तुत देयक के परिक्षण उपरांत सही पाए जाने पर देयक राशि विकासखण्ड समन्वयक के खाते मे हस्तांतरित की जावेगी।	जिला समन्वयक द्वारा व्यय राशि का देयक सत्यापन उपरांत जिला कार्यालय में संधारित किया जावेगा